भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2248
जिसका उत्तर शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के निष्कर्ष

2248. डॉ अमर सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के निष्कर्षों का संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में हमारे न्यायालयों में 40 मिलियन से अधिक मामले लंबित हैं, जबकि न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या लगभग 20,000 है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है कि प्रत्येक न्यायाधीश को बड़ी संख्या में मामले सौंपे जा रहे हैं जिससे मामलों के निपटान में विलंब हो रहा है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 01.12.2023 को न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या इस प्रकार है : -

क्र.सं.	न्यायालय	लंबित मामलों की संख्या
1	उच्चतम न्यायालय	80,040
2	उच्च न्यायालय	61,75,579
3	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,46,30,237
	सकल योग	**5,08,85,856**

स्रोत :राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

वर्तमान में, 1.12.2023 को, न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	**न्यायालय**	**न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या**
1	उच्चतम न्यायालय	34
2	उच्च न्यायालय	1,114
3	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	25,420
	सकल योग	**26,568**

स्रोत : एमआईएस पोर्टल, न्याय विभाग

न्यायाधीशों को मामलों का समनुदेशन और इसका निपटान करना न्यायपालिका के अनन्य अधिकारिता के भीतर है। इस मामले में केंद्रीय सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। तथापि, सरकार न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित और कुशल निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है: -

i. इस उद्देश्य के लिए, राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी, जिसमें प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने और प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करके पहुंच बढ़ाने के घोषित उद्देश्य थे।

ii. न्यायिक अवसंरचना के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन, न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय हॉल, आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर रूम के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जा रही है जो वकीलों और मुकदमों के जीवन को आसान बनाएगा, जिससे न्याय वितरण में सहायता मिलेगी। आज की तारीख में, 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की स्थापना के बाद से 10035 करोड़ जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अधीन 30.06.2014 को न्यायालय हॉलों की संख्या 15,818 से बढ़कर 30.11.2023 को 21,507 हो गई है और 30.06.2014 को आवासीय इकाइयों की संख्या 10,211 से बढ़कर 30.11.2023 को 18,882 हो गई है।

iii. ई-न्यायालयों मिशन मोड परिस्कीम के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। ई-न्यायालयों परिस्कीम के चरण-I और II के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण को उचित वैन संयोजकता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, न्यायालय परिसरों और आभासी न्यायालयों में ई-सेवा केंद्रों की स्थापना आदि के साथ आगे बढ़ाना ।

हाल ही में, मंत्रिमंडल ने 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ई-न्यायालयों के चरण-III का अनुमोदन किया है। चरण-I और चरण-II के लाभ को अगले स्तर तक ले जाने के लिए, ई-न्यायालयों चरण-III का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय में अधिकतम आसानी की व्यवस्था करना है। सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए यह नवीनतम तकनीक जैसे कृतिम आसूचना (एआई), ब्लॉक चेन आदि को सम्मिलित करने का आशय रखता है।

iv. इसके अतिरिक्त, सरकार नियमित रूप से उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भर रही है। 01.05.2014 से 08.12.2023 तक, 61 न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था। 965 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 695 अतिरिक्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों में स्थायी बनाया गया। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई 2014 में 906 से बढ़कर वर्तमान में 1114 हो गई है।

v. समय की अवधि में, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या वर्ष 2014 में 19,518 से बढ़कर वर्ष 2023 में 25,423 हो गई, जबकि संबंधित कार्य संख्या संख्या वर्ष 2014 में 15,115 से बढ़कर वर्ष 2023 में 19,518 हो गई।

vi. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्ति के सम्मेलन के मद्देनजर पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में अलग बकाया

समितियों का गठन किया गया है। इसी तरह की समितियां जिला न्यायालयों में कार्यात्मक हैं।

vii. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, सरकार ने जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों, एचआईवी/एड्स और संपत्ति से संबंधित पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले आदि से जुड़े मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित किए हैं। 31.10.2023 तक, 848 त्वरित निपटान न्यायालयों कार्यात्मक हैं। भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्संग के लंबित मामलों और पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के त्वरित निपटान के लिए देश भर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम है । 31.10.2023 तक, 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 412 विशेष पाक्सो (ईपीओसीएसओ) न्यायालयों सहित कुल 758 एफटीएससी कार्यरत हैं।

viii. लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के विचार से सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

ix. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों का पूरे मनोयोग से संवर्धन किया गया है । तद्नुसार, तारीख 20 अगस्त, 2018 को संशोधित वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का संशोधन किया गया है। विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

हाल ही में सरकार ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 अधिनियमित किया है, जिसमें अधिकथित किया गया है कि मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के उपबंधों के अनुसार सिविल और वाणिज्यिक मामलों में मध्यस्थता की जा सकती है, ऐसे मामलों को अधिनियम की पहली अनुसूची में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करने को छोड़कर, मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की परिधि में अधिकांश छोटे अपराधों को छोड़कर जिसमें केवल प्रमुख अपराधों को बाहर रखा गया है ।

x. लोक अदालत सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय या पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक न्यायालय द्वारा किए गए एक पंचाट को एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी न्यायालय के समक्ष इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है।

लोक अदालतों के तीन प्रकार हैं: राष्ट्रीय लोक अदालतें, राज्य लोक अदालतें और स्थायी लोक अदालतें। देश के विभिन्न हिस्सों में मोबाइल लोक अदालतों का भी आयोजन किया जाता है, जो एक मध्यस्थता तंत्र के माध्यम से विवादों के समाधान की सुविधा के लिए विवादों को हल करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं। जून, 2020 से, ऑनलाइन लोक न्यायालय/ई-लोक अदालतों का आयोजन वस्तुतः किया गया है जो पार्टी बातचीत और सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे लोगों को

इंटरनेट प्रौद्योगिकी की मदद से अपने घरों से प्रभावी ढंग से भाग लेने की अनुमति मिलती है।

xi. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें ग्राम पंचायत और टेली-लॉ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से। में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श की मांग करने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया।

30 नवंबर, 2023 तक टेली विधि और टेली विधि मोबाइल ऐप के तत्वावधान में 2.5 लाख सीएससी के माध्यम से 60,23,222 मामलों के लिए विधिक सलाह सक्षम की गई थी।

xii. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकीलिंग को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं।

****